न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 370 / 2023

अनवान : –

1. शिवभगवान पुत्र दानाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दानाराम पुत्र तारूराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. कालुराम पुत्र दानाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. रघुवीर पुत्र दानाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. भागी देवी पत्नी दानाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. चन्द्रवती पुत्री दानाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
7. शाखा प्रबन्धक महोदय आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 6/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 434 / 370 की कुल 12.8270 हैक्ट भूमि में से 1 / 18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 184 / 147 की कुल 5.5910 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 433 / 371 की कुल 10.4110 हैक्ट भूमि में से 1 / 18 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 7 पी0पी0एम0 तहसील नोहर के खाता संख्या 48 / 44 की कुल 2.9090 हैक्ट भूमि में से 808 / 14545 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 7 पी0पी0एम0 तहसील नोहर के खाता संख्या 27 / 23 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 1 / 18 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 183 / 148 की कुल 1.9630 हैक्ट भूमि भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:59:09 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा [illegible] के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम उक्त वाद भूमि दर्ज है [illegible] भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है। उक्त वाद भू[illegible] वादी की दादालाई [illegible]री कृषि भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम वाद भूमि दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का बहिब हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 5 जो की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की बहिन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादीया स0 4 जो की वादी की माता है ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 184/147 की कुल 5.5910 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 183/148 की कुल 1.9360 हैक्ट भूमि मे से प्रतिवादी स0 1 व 4 प्रत्येक के 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का नाम कलमजन किया जावें। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 5 का बहिब हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:59:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 434/370 की कुल 12.8270 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 184/147 की कुल 5.5910 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 433/371 की कुल 10.4110 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 7 पी0पी0एम0 तहसील नोहर के खाता संख्या 48/44 की कुल 2.9090 हैक्ट भूमि में से 808/14545 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 7 पी0पी0एम0 तहसील नोहर के खाता संख्या 27/23 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 183/148 की कुल 1.9630 हैक्ट भूमि भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है वादी का कथन है कि प्रतिवादीया संख्या 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीया स0 4 व 5 द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरंपच ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 184/147 की कुल 5.5910 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 183/148 की कुल 1.9360 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का नमा कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:59:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 6/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:59:09 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 370 / 2023

अनवान : –

1. शिवभगवान पुत्र दानाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. दानाराम पुत्र तारूराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. कालुराम पुत्र दानाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. रघुवीर पुत्र दानाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. भागी देवी पत्नी दानाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. चन्द्रवती पुत्री दानाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
7. शाखा प्रबन्धक महोदय आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 370 सन 2023 निर्णय दिनांक – 6/10/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 184 / 147 की कुल 5.5910 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 183 / 148 की कुल 1.9360 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का नमा कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:59:09 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर